

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 26/2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

Amit kumar panchal

...APPLICANT

Versus

STATE OF MP & ORS

...RESPONDENTS

INDEX

SR.	PARTICULARS	Annexure	PAGE
1.	Factual report in compliance of Hon'ble NGT order dated 15/02/2024		1-6
2.	Panchnama prepared during inspection	Annexure- 1	7
3.	Google map of the area showing residential colony and the trenching ground	Annexure- 2	8
4.	Analysis report Ground water quality of the surrounding tested by the Regional Office, MPPCB Indore.	Annexure- 3	9-10
5.	notice no. 2831 dated 01/08/2023, letter sent to Chief Municipal Officer (CMO) Rau by Regional Office, MPPCB Indore.	Annexure- 4	11
6.	letter no. 3573 dated 04/10/2023, sent to Chief Municipal Officer (CMO) Rau by Regional Office, MPPCB Indore	Annexure-5	12-13
7.	letter no. 4632 dated 18/12/2023 sent to Chief Municipal Officer (CMO) Rau by Regional Office, MPPCB Indore	Annexure-6	14-15
8.	letter no. 623 dated 19/02/2024 sent to Chief Municipal Officer (CMO) Rau by Regional Office, MPPCB Indore	Annexure-7	16-17
9.	letter no 1213 dated 05/04/2024 sent to Chief Municipal Officer (CMO) Rau by Regional Office, MPPCB Indore	Annexure-8	18-19
10.	Notice under section 33-A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 has been sent to CMO Rau vide RO MPPCB letter no. 625 dated 19/02/2024	Annexure-9	20-21

11.	MPPCB has imposed Environment Compensation of Rs. 96 Lakh for period from 01/07/2020 to 31/12/2020 and Rs. 756 Lakh for period 01/01/2021 to 31/12/2023 for non compliance of MSW Rules 2016 and non installation of STP	Annexure-10&11	22-26
12.	Copy of the letter no. 570 dated 07/03/2024 received from CMO Rau, District Indore	Annexure-12	27-32
13.	Collector Indore has also directed to comply the provisions of MSW Rules 2016 letter no. 03 dated 03/01/2024 & letter no. 186 dated 01/03/2024	Annexure-13&14	33-34
14.	CMO, Rau, District Indore letter no 771 dated 04/04/2024 to MP PCB Regional Office Indore	Annexure-15	35
15.	CMO, Rau, District Indore letter no. 715 dated 22/03/2024 to MP PCB Regional Office Indore	Annexure-16	36-37
16.	Photographs taken during inspection		38-39
17.	Vakalatnama		40

Date: 12.04.2024

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:-



through Counsel
Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

Report

Report in the Matter of OA No. 26/2024 (CZ) (Shri Amit Kumar Panchal V/s CMO Nagar Palika Parishad Rau, District-Indore & Ors) in compliance of the order issued by Hon'ble NGT, Central Bench, Bhopal on dated 15/02/2024

Background :

A petition has been filled by Applicant Shri Amit Kumar Panchal regarding non compliances of Solid Waste Management Rules 2016 by throwing the city solid waste openly in trenching ground A.B. road Rau, District-Indore, near Sanskriti Royal Park Colony. The Applicant has also mentioned in his application that solid waste, plastic wastes and municipal wastes being dumped causing foul smell and health hazard to the citizen. It has also been submitted that dead animals are thrown in this place and street dogs picked dead body and throw them here and there causing violation of solid waste. The solid waste dumping in the trenching ground during rainy season may cause pollution of underground water and further flow of the water, it is polluting the river water near the city of Indore. It has been also alleged regarding violation of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Solid Waste Management Rule 2016 by the Urban Local Body.

Hon'ble NGT has constituted a Joint Committee consisting of :

- i. One representative of District Collector Indore (M.P.)
- ii. One representative of State Pollution Control Board,(M.P.)

And Committee has been directed to submit the factual and action taken report within 06 weeks.

In compliance of aforesaid directions of the Hon'ble NGT, following Officers have been nominated from respected Departments to visit the site and submit the report :

1	Representative of Collector Indore	Shri Vinod Rathore, Sub Divisional Magistrate Rau
2	Representative of M.P. Pollution Control Board	Regional Officer, M.P. Pollution Control Board, Indore

As per the directions of Hon'ble NGT following Officer has visited the place on dated 26/03/2024 to verify the facts :

- i. Shri Vinod Rathore, SDM, Rau
- ii. Shri S.N. Dwivedi Regional Officer, MPPCB Indore
- iii. Shri Narayan Nandeda, Tehsildar, Rau
- iv. Shri Damodar Sharma, Patwari Rau
- v. Shri Chandra Shekhar Nigam, CMO, Nagar Parishad, Rau
- vi. Shri Sanjay Jain, Scientist, MPPCB Indore

During inspection Applicant Shri Amit Kumar Panchal was not present in spite of repeated telephonic information and he has sent his representative Shri Gourav Panchal to be present during inspection. Shri Gourav Panchal was present during inspection.

A Panchnama during inspection was prepared, copy of which is enclosed as **Annexure-1**.

Observations during inspection :

1. Nagar Palika Parishad Rau, District-Indore (M.P.) is collecting municipal solid waste door to door and collected waste is dumped in Rau area, A.B. Road, Sanskriti Royal Park, near Mukti Dham since last many years.
2. Mukti Dham is also located near the trenching ground in left side and a nallah is passing from A.B. road crossing trenching ground. Sanskriti Royal Colony is located in west & south direction adjacent to the trenching ground. Google map of the area showing residential colony and the trenching ground is enclosed as **Annexure-2**.
3. Nagar Parishad Rau has not developed solid waste management facility in compliance of Municipal Solid Waste Management Rules 2016 yet. Municipal Solid Waste (MSW) has been dumped at existing trenching ground at A.B. Road Indore near Sanskriti Royal Colony,

which may be perused in Google map enclosed as Annexure-2 above. During inspection municipal solid waste was found dumped and as per the information told during inspection, dead animal are buried in the trenching ground and therefore, foul smell was felt all around in the area.

4. During site inspection foul smell was felt and approx 5000 MT of solid wastes has been found dumped in the trenching ground. Segregation at source is not being carried out and mixed type of MSW was found dumped.
5. Plastic wastes is segregated at trenching ground and the plastic waste is converted into plastic lumps at site within shed. Shredding machine, balling machine and lump converting machine were found installed. However, these were not found operating during inspection.
6. A nallah was passing adjacent to the trenching ground and this meets to the River Saraswati. Nagar Parishad has not constructed sewage treatment plant (STP) so far for treatment of domestic wastewater generating from municipal area. Untreated municipal wastewater is flowing into local nallah, which may cause water pollution in the area.
7. Ground water quality of the surrounding has been tested by the Regional Office, MPPCB Indore. Analysis report is enclosed as **Annexure-3**. As per analysis report, ground water quality of the area was found normal.

Action Taken Report

1. The Regional Office, M.P. Pollution Control Board (MPPCB) has taken action against the Nagar Parishad Rau and instructed time to time to take preventive action to control foul smell and proper disposal of

municipal solid wastes and wastewater and shifting of this trenching ground away from the city.

2. It is submitted that notice no. 2831 dated 01/08/2023, letter no. 3573 dated 04/10/2023, letter no. 4632 dated 18/12/2023, letter no. 623 dated 19/02/2024 and letter no 1213 dated 05/04/2024 were sent to Chief Municipal Officer (CMO) Rau to take preventive actions and shifting of trenching ground from the present site. Copy of notices are enclosed herewith from **Annexure No. 4 to 8.**
3. It is submitted that notice under section 33-A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 has been sent to CMO Rau vide RO MPPCB letter no. 625 dated 19/02/2024 for installation of wastewater treatment and to prevent untreated wastewater discharge into nallah. Copy of the notice issued is enclosed as **Annexure-9.**
4. It is submitted that MPPCB has imposed Environment Compensation of Rs. 96 Lakh for period from 01/07/2020 to 31/12/2020 and Rs. 756 Lakh for period 01/01/2021 to 31/12/2023 for non compliance of MSW Rules 2016 and non installation of STP. Copy of the directions issued are enclosed as **Annexure-10 & 11.**
5. In response of RO MPPCB notice letter no. 625 dated 19/02/2024, CMO Rau has submitted a reply dated 07/03/2024 and informed that they have applied for land allotment at Village-Machala at Survey No. 155/1/2 to the Collector Indore for installation of solid wastes management facility, which is under process. After development of solid waste disposal facility at Village-Machala, land of present trenching ground near Sanskriti Royal Park Colony Rau has been proposed to be use for construction of sewage treatment plant. Copy of the letter no. 570 dated 07/03/2024 received from CMO Rau is enclosed as **Annexure-12.**

6. Collector Indore has also directed to comply the provisions of MSW Rules 2016 and to close the storage of solid waste near residential colony to CMO Rau vide their letter no. 03 dated 03/01/2024 & letter no. 186 dated 01/03/2024. Copy of the letters are enclosed as **Annexure-13 & 14.**
7. Nagar Parishad Rau has submitted that they have requested to Collector Indore to allot land of 3.5 hectare out of 9.5950 hectare of Survey No. 155/1/2, Village-Machala at the earliest. The allotment process is under progress and it has been informed that it will take some more time, therefore, Nagar Parishad has requested to Collector to provide possession in advance, so that solid waste may be managed and disposed properly and problem of Sanskriti Royal Park Colony may be resolved. Copy of the letter no. 715 dated 22/03/2024 & letter no 771 dated 04/04/2024 submitted by CMO Rau is enclosed as **Annexure-15,16.**

Conclusion & Recommendation :

1. Nagar Parishad Rau has proposed to developed the solid waste management facility at Survey No. 155/1/2, Village-Machala, District-Indore (M.P.). Nagar Parishad Rau has requested District Administration for allotment of land and for early possession of the land. Land allotment by the District Administration is under process.
2. Nagar Parishad has been sent notices to manage the solid waste and wastewater according to MSW Rules 2016 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 by M.P. Pollution Control Board. Environment Compensation of Rs. 852 Lacks has also been imposed.
3. Nagar Parishad Rau may be directed to shift the trenching facility and install separate solid waste management facility for which time bound action plan be submitted to MPPCB.

4. Nagar Parishad Rau may be directed to comply provisions of Municipal Solid Waste Management Rules 2016 and to install Sewage Treatment Plant for management of domestic wastewater.

Enclosed : Annexure 1 to 16 & Photographs of inspection.


(Sanjay Jain)
Scientist
MPPCB, Indore


(S.N. Dwivedi)
Regional Officer,
MPPCB, Indore


(Vinod Rathore),
SDM, Rau,
District-Indore

प्रस्ताव

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिष्ठाता गोपाल केच के प्रकाश द्वारा
26/2024 (आमल कुम्ह पांचाल विष्ट वीग ओ नगर घासिण. 23 व
कर्म) के परिपत्रने गरिठ दल हाय (थल निरीक्षण दिनां- 26/3/2024
को किया गया है निरीक्षणने निम्न अधिष्ठाये / आम लक्षि कुम्हिल
थे।



~~SDM~~
26/3/24
नि. (प्र. निगम)

S.K. Jain
(SDM)

Vinod Rathore
SDM Rav

S.K. Jain
Rav Pancha
26/03/24


S.N. Divedan
ROMPPCB
Indore

Ram
नारायण नाडेडा
सहकीर्णक
राउ

दामोदर शर्मा
पटवारी
राउ
9425812000

Annexure-2

Google map of the area showing residential colony and the trenching ground Rau, District-Indore (M.P.)





Regional Laboratory M. P. Pollution Control Board

Plot No. 1, Scheme No. 78, Part-II, Aranya, Indore – 452 010
☎0731 – 2554337, 4035618 E-mail: regional.labindore@yahoo.com



Certificate No. TC-6137

TEST REPORT

ANALYSIS REPORT FOR WATER & WASTE WATER SAMPLE

Sample From		Bore Well Water at Trenching Ground, Rau Indore (M.P.)			
Contact No					
Sample Description		Bore well water.		Test Report No.	3686
Date and Time of Collection	26/03/2024	Type of Sample : Grab	Transportation:- Ice Box with Ice	Sampling Method : Water/ Waste water sample collection Guideline by Central lab M.P. P.C.B., Bhopal	
Date of Receipt	26/03/2024				
Period of Analysis	26-01/04/2024	Sample collected & Analysed by	Sanjay Jain, Scientist & S.S. Chouhan, Jr. Scientist	Sample volume: 02 Litre	
Date of Report	01/04/2024				
S. No.	Parameters	Unit	Result	Method	
01	pH	pH Unit	8.0	APHA,4500H+B	
02	Turbidity	N.T.U.	1.7	APHA,2130-B	
03	Specific Conductivity	µmho/cm	890.6	APHA 2510 B	
04	Total Solids	mg / L	579	APHA 2540 B	
05	Total Dissolved Solids	mg / L	572	APHA 2540 C	
06	Suspended Solids	mg / L	07	APHA2540 D	
07	Fixed Dissolved Solids	mg / L	380	APHA 2540 E	
08	Chloride	mg / L	75.97	APHA,4500-CL-B	
09	Dissolved Oxygen	mg / L	--	APHA 4500-O-C	
10	B.O.D. (3 days, 27 ^o C)	mg / L	1.2	IS 3025,part 44 1993	
11	C.O.D.	mg / L	16	APHA,5220 B	
12	Oil & Grease	mg / L	--	APHA 5520-D	
13	Ammo. Nitrogen (as NH ₃)	mg / L	0.019	APHA 4500-NH3-F	
14	Nitrite Nitrogen (as N)	mg / L	0.010	APHA 4500-NO2-B	
15	Nitrate Nitrogen (as N)	mg / L	2.62	APHA 4500-NO3-B	
16	Total Kjehdal Nitrogen	mg / L	--	APHA 4500-Norg-C	
17	Phosphate (as P)	mg / L	0.028	APHA 4500-P-D	
18	Total Alkalinity	mg / L	360	APHA 2320-B	
19	T- Hardness (as CaCO ₃)	mg / L	192	APHA 2340-C	
20	Ca- Hardness (as CaCO ₃)	mg / L	144	APHA 3500-Ca-B	
21	Mg- Hardness (as CaCO ₃)	mg / L	48	APHA 3500-Mg-B	
22	Sulphate (as SO ₄)	mg / L	26.3	APHA 4500-So4-E	
23	Fluoride (as F)	mg / L	--	APHA 4500-F-D	
24	Sodium (as Na)	mg / L	24.6	APHA 3500-Na-B	
25	Potassium (as K)	mg / L	1.8	APHA,3500-K,B	
26	Boron (as B)	mg / L	--	APHA 4500-B-C	
27	Residual Chlorine	mg / L	---	APHA 4500-cl B	

NOTE:-The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Lab, M.P. Pollution Control Board, Indore.
No statutory liability accepted for sample not collected by MPPCB.
The result relate only to the sample tested.
Sample will be destroyed after 10 days from the date of issue of test report unless otherwise specified.

(Atul Kotiya)
Scientist

Regional Laboratory, Indore



Regional Laboratory
M. P. Pollution Control Board



Plot No. 1, Scheme No. 78, Part-II, Aranya, Indore – 452 010
☎ 0731 – 2554337, 4035618 E-mail: regional.labindore@yahoo.com

TEST REPORT

ANALYSIS REPORT FOR WATER & WASTE WATER SAMPLE

Sample From	Bore Well Water at Trenching Ground, Rau Indore (In the Premises of Shri Tejraj, Shri Amar Ji, House No. 47, Sanskrati Royal Park, Rau, Indore (M.P.))			
Contact No				
Sample Description	Bore well water.	Test Report No.		3687
Date and Time of Collection	26/03/2024	Type of Sample : Grab	Transportation:- Ice Box with Ice	Sampling Method :Water/ Waste water sample collection Guideline by Central lab M.P. P.C.B., Bhopal
Date of Receipt	26/03/2024			
Period of Analysis	26-01/04/2024	Sample collected & Analysed by	Sanjay Jain, Scientist & S.S. Chouhan, Jr. Scientist	Sample volume: 02 Litre
Date of Report	01/04/2024			
S. No.	Parameters	Unit	Result	Method
01	pH	pH Unit	7.36	APHA,4500H+B
02	Turbidity	N.T.U.	1.0	APHA,2130-B
03	Specific Conductivity	µmho/cm	460.68	APHA 2510 B
04	Total Solids	mg / L	305	APHA 2540 B
05	Total Dissolved Solids	mg / L	300	APHA 2540 C
06	Suspended Solids	mg / L	05	APHA2540 D
07	Fixed Dissolved Solids	mg / L	240	APHA 2540 E
08	Chloride	mg / L	35.98	APHA,4500-CL-B
09	Dissolved Oxygen	mg / L	--	APHA 4500-O-C
10	B.O.D. (3 days, 27 °C)	mg / L	0.8	IS 3025,part 44 1993
11	C.O.D.	mg / L	11	APHA,5220 B
12	Oil & Grease	mg / L	--	APHA 5520-D
13	Ammo. Nitrogen (as NH ₃)	mg / L	0.008	APHA 4500-NH3-F
14	Nitrite Nitrogen (as N)	mg / L	0.002	APHA 4500-NO2-B
15	Nitrate Nitrogen (as N)	mg / L	0.861	APHA 4500-NO3-B
16	Total Kjehdal Nitrogen	mg / L	--	APHA 4500-Norg-C
17	Phosphate (as P)	mg / L	0.020	APHA 4500-P-D
18	Total Alkalinity	mg / L	168	APHA 2320-B
19	T- Hardness (as CaCO ₃)	mg / L	120	APHA 2340-C
20	Ca- Hardness (as CaCO ₃)	mg / L	104	APHA 3500-Ca-B
21	Mg- Hardness (as CaCO ₃)	mg / L	16	APHA 3500-Mg-B
22	Sulphate (as SO ₄)	mg / L	13.62	APHA 4500-So4-E
23	Fluoride (as F)	mg / L	--	APHA 4500-F-D
24	Sodium (as Na)	mg / L	20.7	APHA 3500-Na-B
25	Potassium (as K)	mg / L	1.3	APHA,3500-K,B
26	Boron (as B)	mg / L	--	APHA 4500-B-C
27	Residual Chlorine	mg / L	---	APHA 4500-cl B
NOTE:-The report shall not be reproduced except in full, without permission of Regional Lab, M.P. Pollution Control Board, Indore. No statutory liability accepted for sample not collected by MPPCB. The result relate only to the sample tested. Sample will be destroyed after 10 days from the date of issue of test report unless otherwise specified.				


(Atul Kotiya)
Scientist

Regional Laboratory, Indore



क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2; अरण्य, विजयनगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 2831 /क्षे.का.इ./2023

इन्दौर, दिनांक 01/08/2023

प्रति,

मुख्य नगर पालिक अधिकारी,

नगर परिषद, राऊ

जिला-इन्दौर

विषय:- निकाय अंतर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का उचित ढंग से हथालन/प्रबंधन करने कारण बताओ नोटिस।

उपरोक्त विषय के बारे में लेख है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, जो कि 8 अप्रैल 2016 से प्रभावशील है।

यह कि, नियम की धारा 15 (म) के तहत नगरीय निकायों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट का हथालन/ प्रबंधन हेतु एम एस डब्ल्यू प्रोसेसिंग साइट का चयन एवं अपशिष्ट प्रसस्करण हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए है।

यह कि, आपके द्वारा रहवासी क्षेत्रान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है जिससे आसपास के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अर्थात आपके द्वारा निपटान एवं पृथक्करण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है, एवं उक्त अधिनियम के तहत जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके निकाय अंतर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं पृथक्करण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसार करना सुनिश्चित करें एवं वर्तमान में रहवासी क्षेत्र के समीप नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण तत्काल बंद करें तथा नियमानुसार स्थल का चयन कर प्राधिकार प्राप्त किया जाये अन्यथा बोर्ड न्यायलयीन कार्यवाही हेतु बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।

(एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
इन्दौर



क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



Ann-5
LIFE
Lifestyle For
Environment

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 3573 /क्षे.का.इं./2023

इन्दौर, दिनांक 04/10/23

प्रति,

मुख्य नगर पालिक अधिकारी,
नगर परिषद, राऊ
जिला-इन्दौर

विषय:- निकाय अंतर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का रहवासी क्षेत्र में एकत्रीकरण बंद/विस्थापित करने बाबत कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2831 दिनांक 01.08.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। कृपया सूचित हो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, जो कि 8 अप्रैल 2016 से प्रभावशील है।

1. यह कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की धारा 15 (म) के तहत नगरीय निकायों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट का हथालन/प्रबंधन हेतु एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग साइट का चयन एवं अपशिष्ट अपशिष्ट का विभिन्न चरणों में प्रसंस्करण सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी किये गए है।
2. यह कि, स्थानीय नगरीय निकायों एवं संस्थानों को जल/वायु अधिनियमों के तहत जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करने के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट के हथालन/प्रबंधन बाबत "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" के नियम 15 (म) के तहत प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. यह कि, आपके द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को रहवासी क्षेत्र में एकत्रित किया जाता है एवं इसके प्रसंस्करण एवं निपटान हेतु उपर्युक्त प्रसंस्करण प्रणाली स्थापित नहीं की गयी है।
4. यह कि, आपके द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं होने के कारण

आसपास के रहवासी क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं एवं लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अर्थात् आपके द्वारा उक्त अधिनियम के तहत जारी दिशानिर्देशों एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी आदेश क्र. 606/2018 का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त कृत्यों के आधार पर आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में रहवासी क्षेत्र के समीप नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण तत्काल बंद कर नियमानुसार स्थल का चयन करे तथा घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं पृथक्करण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसार करना सुनिश्चित करे एवं नियमानुसार सम्मति/प्राधिकार प्राप्त किया जाये तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराये। कृपया उक्त कार्यवाही प्राथमिकता से करे अन्यथा नियम का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार निकायों के विरुद्ध पर्यावरणीय नियमों के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेवारी आपकी होगी।

९८

A- (एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी
इन्दौर

क० 3574/क्षे.का.इं./2023

प्रतिलिपि :-

1. डायरेक्टर पर्यावरण (तकनीकी प्रमुख), म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

इन्दौर, दिनांक 04/10/23



क्षेत्रीय कार्यालय

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



LIFE
Lifestyle For
Environment

Ann-6

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 4632/क्षे.का.इ./2023
प्रति,

इन्दौर, दिनांक 18/12/2023

परियोजना अधिकारी,
जिला शहरीय विकास अभिकरण,
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- नगर परिषद राउ अंतर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का रहवासी क्षेत्र में एकत्रीकरण बंद/विस्थापित कराने एवं बोर्ड से सम्मति/प्राधिकारी प्राप्त कराने बावत्।

संदर्भ :- इस कार्यालय का नगर परिषद राउ को प्रेषित पत्र क्रमांक 2831 दिनांक 01.08.2023 एवं पत्र क्रमांक 3573 दिनांक 04.10.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ में लेख है कि नगर परिषद राउ द्वारा विगत कई वर्षों से नगरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण रहवासी क्षेत्र में किया जा रहा है तथा इसके उपचार एवं निपटाना हेतु कोई व्यवस्था आज पर्यन्त तक स्थापित नहीं की गई है। कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद राउ को क्षेत्रांतर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का रहवासी क्षेत्र में एकत्रीकरण बंद/विस्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया था, संदर्भित पत्रों की प्रतियां संलग्न है। नगर परिषद राउ द्वारा उपरोक्त संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, जो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का उल्लंघन है।

विदित हो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, जो कि 8 अप्रैल 2016 से प्रभावशील है।

1. यह कि, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की धारा 15 (म) के तहत नगरीय निकायों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार अनुसूची 1 एवं अनुसूची 2 में घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट का हथालन/प्रबंधन हेतु एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग साइट का चयन एवं अपशिष्ट अपशिष्ट का विभिन्न चरणों में प्रसंस्करण सम्बन्धी दिशानिर्देश जारी किये गए है।
2. यह कि, स्थानीय नगरीय निकायों एवं संस्थानों को जल/वायु अधिनियमों के तहत जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करने के साथ नगरीय ठोस अपशिष्ट के हथालन/प्रबंधन बावत् "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016" के नियम 15 (म) के तहत प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

3. यह कि, नगर परिषद राउ द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट को रहवासी क्षेत्र में एकांकित किया जा रहा है एवं इसके प्रसंस्करण एवं निपटान हेतु उपर्युक्त प्रसंस्करण प्रणाली स्थापित नहीं की गयी है।

4. यह कि, नगर परिषद राउ द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं होने के कारण आसपास रहवासी क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं एवं लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अर्थात् नगर परिषद राउ द्वारा उक्त अधिनियम के तहत जारी दिशानिर्देशों एवं मानक एनजीटी द्वारा जारी आदेश क्र. 606/2018 का उल्लंघन किया जा रहा है।

नगर परिषद राउ द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन ना कर लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद राउ को क्षेत्रांतर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का रहवासी क्षेत्र में एकत्रीकरण करने एवं नियमानुसार स्थल का चयन कर घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं पृथक्करण ठोस, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसार करने एवं नियमानुसार बोर्ड से सम्मति/प्राधिकार प्राप्त करने की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

पृ0क0 4633 तक.शा./2023
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-इन्दौर की ओर कृपया अग्रेषित कर निवेदन है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद राउ को नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम 2016 के पालनाथ कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद राउ, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 16/12/22

(एस.एन. द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर



क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436, e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 623 /क्षे.का.इं./2024
प्रति,

इन्दौर, दिनांक 19/02/2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद राउ,
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधान अनुसार ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु कार्यवाही नहीं करने के कारण, कारण बताओ नोटिस।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2831 दिनांक 01.08.2023, पत्र क्रमांक 3573 दिनांक 04.10.2023 एवं पत्र क्रमांक 4633 दिनांक 18.12.2023


उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया कार्यालय के संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नगर परिषद राउ के नगरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले घरेलू ठोस अपशिष्ट के राउ क्षेत्र के रहवासी क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रिकरण एवं भण्डारित करने की समस्या से आपको अवगत कराया गया था एवं निर्देशित किया गया था कि रहवासी क्षेत्र के समीप नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रिकरण तत्काल बंद कर नियमानुसार स्थल का चयन कर उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट का निपटान सुनिश्चित करें। नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के पालनार्थ की गई कार्यवाही के संबंध में आपके द्वारा आज पर्यन्त तक कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है और ना ही कोई योजना प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह भी लेख है कि वर्तमान में अवैज्ञानिक तरीके से ठोस अपशिष्ट का डिस्पोजल जिस स्थल पर किया जा रहा है, उसके आस-पास विभिन्न कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। उक्त स्थल से जल एवं वायु प्रदूषण की शिकायतें आस-पास के रहवासियों द्वारा लगातार की जा रही है तथा माननीय अधिकरण के समक्ष भी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए की गई कार्यवाही इस कार्यालय को आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रदूषण नियंत्रण हेतु भी कोई प्रयास परिलक्षित नहीं पाये गये, जबकि इस कार्यालय द्वारा बार-बार पत्र द्वारा एवं दूरभाष द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु बाँयो सीएनजी प्लांट, सेनेटरी लैण्डफील साईट, एम.आर.एफ. फेसिलिटी इत्यादि देवगुराड़िया, इन्दौर में विकसित किये गये हैं। आपके

द्वारा नगर पालिक निगम इन्दौर के माध्यम से भी ठोस अपशिष्टों का डिस्पोजल कराने के संबंध में कोई पत्राचार या प्रयास संबंधी विवरण इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार आपके द्वारा उक्त समस्या के नियंत्रण एवं निदान हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी इस कार्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। अतः कारण स्पष्ट करें कि -

1. उपरोक्त उल्लंघन बावत् क्यों न नगर परिषद एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अंतर्गत न्यायालयीन वाद दायर किया जावे।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जावे।

आपका उत्तर एवं की गई कार्यवाही की जानकारी 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करें।


(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 13/07/2024

क0 624 /क्षे.का.इ./2024
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिला शहरीय विकास अभिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री संजय कुमार जैन, वैज्ञानिक, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर



क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 1213 / तक.शा. / 24
प्रति,

इन्दौर, दिनांक 05/04/24

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद, ए.बी.रोड़,
राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.)

विषय :-संस्कृति रॉयल पार्क ए.बी.रोड़, इन्दौर के पास स्थित नगरीय ठोस अपशिष्ट भंडारण स्थल के आसपास वायु प्रदूषण फैलने के कारण कारण बताओं सूचना पत्र।

- सदर्भ:- 1. स्थल निरीक्षण दि 26.03.2024 एवं आपके द्वारा प्रेषित पत्र क 771 दिनांक 04.04.2024
2. इस कार्यालय द्वारा नगर परिषद को पूर्व में प्रेषित पत्र एवं कार्यालय को प्राप्त शिकायत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है बिना पृथक्कीकरण किये हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट संस्कृति रॉयल पार्क कॉलोनी के पास ए.बी.रोड़ इन्दौर स्थित टेन्चिंग ग्राउण्ड में भंडारित किया जाता है। जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ-साथ सूखा-गीला कचरा, आर्गेनिक वेस्ट, मरे हुए जानवरों के अपशिष्ट आदि डमप किया जाता है जिससे आसपास के क्षेत्र में बदबू की स्थिति निर्मित होती है जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैल रहा है। मान्नीय एनजीटी में प्रचलित प्रकरण क. 26/2024 (अमित कुमार पांचाल विरुद्ध मुख्य नगरपालिका अधिकारी राऊ) में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 26.03.2024 को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राऊ एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता एवं आपकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण में बदबू की स्थिति पाई गई है तथा यह भी पाया गया कि कचरा संग्रहण कर अवैधानिक एवं अवैज्ञानिक तरीके से डाला गया है। पृथक्कीकरण नहीं किया गया है तथा आर्गेनिक वेस्ट, गीला कचरा भंडारित होने के कारण डी-कम्पोजिशन की स्थिति निर्मित होती है तथा आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही है। निरीक्षण के दौरान भी बदबू की स्थिति का अनुभव किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार आपके द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा है जिससे प्रदूषण की स्थिति निर्मित हो रही है। अतः कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के उल्लंघन के कारण अधिनियम की धारा 37 एवं 39 के अंतर्गत न्यायालीन परिवाद दायर किया जावे। कृपया आपका उत्तर 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा इस कार्यालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

OIC (एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

पृ० क्र० 1214 / तक.शा. / 24
प्रतिलिपि,

इन्दौर, दिनांक 05/04/24-

1. कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय दंडाधिकारी राऊ, कलेक्टर कार्यालय इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन विभाग, इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. परियोजना अधिकारी, जिला ~~राष्ट्रीय~~ विकास अभिकरण इन्दौर की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

010 ✓ (एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर



क्षेत्रीय कार्यालय
म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)

फोन : 0731 2555436; e-mail: romppcb_indore@rediffmail.com

क0 625 /क्षे.का.इं./2024
प्रति,

इन्दौर, दिनांक 19/07/2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद राऊ,
जिला-इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33-क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-क के अंतर्गत सूचना पत्र।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2831 दिनांक 01.08.2023, पत्र क्रमांक 3573 दिनांक 04.10.2023 एवं पत्र क्रमांक 4633 दिनांक 18.12.2023

उपरोक्त विषयांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्कीम न. 78/सी, पार्ट 2, अरण्य, विजयनगर, इन्दौर द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना दी जाती है :-

1. यह कि, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है तथा बोर्ड को जल अधिनियम के साथ-साथ वायु अधिनियम 1981 को राज्य में लागू करने का दायित्व सौंपा गया है।
2. यह कि, आपके उद्योग को बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है।
3. यह कि, किसी भी नगरीय निकाय के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल-मल के उपचार एवं डिस्पोजल की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय की होती है। अतः नगर परिषद राऊ के सीमा क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार एवं डिस्पोजल की जिम्मेदारी नगर परिषद राऊ की है। नगर परिषद का प्रमुख प्राधिकारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। अतः आप उपरोक्तानुसार नगर परिषद क्षेत्र के घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु डिस्पोजल हेतु जिम्मेदार प्राधिकारी हैं।
4. यह कि, नगर परिषद राऊ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु कोई व्यवस्था अथवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं है, जिससे दूषित जल स्थानीय नाले के माध्यम से प्राकृतिक जल स्रोतों सरस्वती नदी/कान्ह नदी में निस्सारित होता है, जिससे कान्ह नदी की जल गुणवत्ता प्रभावित होती है।
5. यह कि, इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों द्वारा पर्यावरणीय नियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करवाने, दूषित जल उपचार व्यवस्थाएं स्थापित कर संचालित कराने बावत आपको पूर्व में सूचित किया गया है, परन्तु आपके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई

कार्यवाही नहीं की गई एवं जानबूझकर पर्यावरणीय अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

6. यह कि, नगरीय निकाय को म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 के अंतर्गत सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य है, परन्तु नगरीय निकाय द्वारा सम्मति प्राप्त ना कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसी प्रकार दूषित जल उपचार व्यवस्था नहीं करना एवं अनुपचारित दूषित जल प्राकृतिक जल स्रोतों में निस्सारित करना अधिनियम की धारा 24 का उल्लंघन है।

उपरोक्तानुसार आपके द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24 एवं 25 का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33-क के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आपको निम्नलिखित निर्देश जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

1. यह कि, नगरीय निकाय से उत्पन्न होने वाला दूषित जल के उपचार एवं डिस्पोजल की व्यवस्था की जावे एवं समयबद्ध योजना सम्पूर्ण प्रस्ताव सहित 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रस्तुत की जावे।
2. यह कि, दूषित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलने से रोकने हेतु अंतरिम व्यवस्था अंतर्गत बायोरेमिडियेशन की कार्यवाही 15 दिवस के भीतर कराई जावे।

आपको सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि आप अपना पक्ष इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर लिखित/स्वयं उपस्थित होकर इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समायावधि में आपका पक्ष प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि बिना पूर्व सूचना के कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से
एवं उसके लिए


(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

क0 626 /क्षे.का.इं./2024
प्रतिलिपि:-

इन्दौर, दिनांक 19/02/24

1. कलेक्टर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिला शहरीय विकास अभिकरण, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. गार्ड फाईल।


(एस.एन.द्विवेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

D:\MPPCB Indore-1\NGT Ind\NGT 26-2024 (CZ)



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E- mail:mswmpcb18@gmail.com


Any- 10 06
75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

No. 174/MSW/HOPCB/2021

Bhopal, Date: 24 /12 /2021

To,

The Chief Municipal Officer,
Nagar Parishad,
Rau,
Distt.- Indore (M.P.)



Sub: Execution of the directions passed by Hon'ble National Green Tribunal imposing Environment Compensation for the period 01/07/2020 to 31/12/2020 for violating the provisions of Solid Waste Management Rules 2016.

Ref: 1. NGT orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 & 14.12.2020 in OA No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management rules, 2016".
2. This office letter No. 62/HOPCB/2021 Bhopal Dated 01/03/2021

WHEREAS MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws prevailing in the state.

WHEREAS, the power to issue directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 has been delegated to the Chairman, MPPCB vide notification dated 10.04.2001.

WHEREAS, you are the Urban Local Body- Nagar Nigam/ Nagar Palika Parishad / Nagar Parishad/ Cantonment Board and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies/ Cantonment Board to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016.

WHEREAS, you have not obtained authorization as per the provision of Solid Waste Management Rules, 2016 from the MPPCB.

WHEREAS, in OA No. 606/2018 , "Compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and other environment issues", Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has directed on 17/01/2020 & 25/02/2020 that :-

1. After 31.03.2020 failure to comply with Rule 22 of SWM Rules, from Serial No. 1 to 10, every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body from 01.04.2020 till compliance.
2. Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01.04.2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body.
3. Commencement of setting up of STPs by 31.03.2020 – Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dt 28.08.2019 in O.A No 593/2017 and 06.12.2019 in OA. No 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.



MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E-mail: mswmppcb18@gmail.com



4. *Interim measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be under taken by 31.03.2020 – Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per drain by concerned local bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.*

WHEREAS, NGT vide its order dated 14/12/2020 has extended the time line for levy of compensation from 01/04/2020 to 01/07/2020.

WHEREAS, State PCB has been directed by NGT vide order dated 28.02.2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS, as per report of the site inspection dated **07.08.20 & 06.01.21** carried out by Regional Office, MPPCB, **Indore**, it is observed that you have not complied with the tasks & timelines given by the Hon'ble NGT for period 30.06.2020 to 31.12.2020 as per details given below :-

Non Compliance									
ULB Name	District	Rule 22 of SWM Rules 2016		Legacy Waste disposal Compensation (Rs In lakh)	Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		Total (Rs In lakh)
		S.No of Non Compliance	Compensation (Rs In lakh)		No of Drains	Compensation (Rs In lakh)	No of STPs	Compensation (Rs In lakh)	
Rau	Indore	4,6,8	6	0	2	60	1	30	96

WHEREAS, till date no reply of above referred notice dated 01.03.2021 has been received from you end. Whereas the Commissioner Urban Administration & Development Department, Govt. of MP has been requested vide letter no. 167 dt. 12/11/2021 to direct the Urban local bodies to deposit the amount of environmental compensation. In this respect Additional Commissioner Urban Administration Directorate has directed you vide letter sha-14/SBM/2021/2150 dt.17-12-2021 to take cognizance and comply as per law;

You are hereby directed to pay Environment Compensation of Rs.96 Lakhs for period of violation from 01.07.2020 to 31.12.2020 i.e. 06 months within 15 days from the date of issue these directions, in the P.D. account number 051/1121/2109 of Additional Secretary Environment Department in Vindhyachal Treasury, Vindhyachal Bhawan Bhopal.

This issues with the approval of the competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and On Behalf of
M.P. Pollution Control Board

(A.A. Mishra)
Member Secretary

Copy to :-

The Regional Officer, M. P. Pollution Control Board, **Indore** for information & necessary action please.



REGIONAL OFFICE

M.P. POLLUTION CONTROL BOARD, Indore

Scheme No. 78/C, Part-2, Aranya, Vijay Nagar, Indore-452010 (M.P.)

E mail: romppcb_indore@rediffmail.com



Ann-11

Sl. No. 909 MPPCB/RO/IND/2024
To,

Dated/2-10/2024

The Chief Municipal Officer,
Nagar Parisad Rau,
District- Indore (M.P.)

Sub: - Execution of the directions passed by Hon'ble National Green Tribunal imposing Environmental Compensation for the period of 01.01.2021 to 31.12.2023 for violating the provisions of Solid waste Management Rules, 2016.

Ref: - 1. NGT orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 & 14.12.2020 in OA no. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016."
2. MPPCB Bhopal order No. 198/Legal/PCB/2023 Bhopal dated 11.08.2023
3. This office letter no. 664 Dated 22.02.2024

WHAREAS, MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

WHEREAS, Regional Officer, MPPCB is authorised to impose environmental compensation vide above referred MPPCB, HO, Bhopal order no. 198 dated 11.08.2023.

WHEREAS, you are the Nagar Parisad (Urban Local Body) and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies to comply with the Solid waste management Rules, 2016, as well as management & treatment of sewage of the town & to protect the natural water bodies from pollution.

WHEREAS, you are discharging untreated sewage from town, which is violation of section 24 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.

WHEREAS, you have not obtained authorization as per the provision of Solid Waste Management Rules, 2016 from the MPPCB.

WHEREAS, in OA No. 606/2018, "compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and other environment issues, Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has directed on 17.01.2020 & 25.02.2020 that:-

1. After 31.03.2020 failure to comply with Rule 22 of SWM Rules, from Serial No. 1 to 10, every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 Lakh, Rs. 5 Lakh per month per local body for population between 5 Lakh and 10 Lakh and Rs. 1 Lakh per month per for other local body from 01.04.2020 till compliance.
2. Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01.04.2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 Lakh and Rs. 1 Lakh per month per other local body.
3. Commencement of setting up of STPs by 31.03.2020- Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 05 Lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dated 28.08.2019 in OA No. 593/2017 and 06.12.2019 in OA No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.



REGIONAL OFFICE

M.P. POLLUTION CONTROL BOARD, Indore

Scheme No. 78/C, Part-2, Aranya, Vijay Nagar, Indore-452010 (M.P.)

E mail:romppcb_indore@rediffmail.com



4. Commissioning of STPs – 31.03.2021. Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 10 lakh per month per STP by concerned Local Bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2021.
5. Interim measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be undertaken by 31.03.2020. Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 Lakh per month per drain by concerned local bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020

WHEREAS, State PCB has been directed by NGT vide order dated 28.02.2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS, NGT vide its order dated 14.12.2020 has extended the time line for levy of compensation from 01.04.2020 to 01.07.2020.

And where as Hon'ble NGT vide its order dated 10.01.2020 has directed in Para 36(a) that "if the local bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Government with liberty to take remedial action against the erring local bodies."

WHEREAS, there is no change in ground reality as observed during inspection done by our officer's time to time in past.

WHEREAS, you have not completed the construction and commissioning of STP so far and discharging untreated effluent through local nallas which are not connected to STP.

WHEREAS, you have not complied with the timeline given by Hon'ble NGT, therefore, you are liable to pay environmental compensation for period 01.01.2021 to 31.12.2023 as per table given below:-

Period	Non compliance of MSW Rules-2016-Rules 22 of SWM Rules	Legacy Waste Disposal Compensation (Rs. In lakh)	Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		Total (Rs in Lakh)
	Compensation (Rs. In lakh)		No. of Drains	Compensation (Rs. In lakh)	No of STPs	Compensation (Rs. In lakh)	
01/01/2021 to 30/06/2021	06	Nil	02	60	01	30	96
01/07/2021 to 31/12/2021	06	06	02	60	01	60	132
01/01/2022 to 30/06/2022	06	06	02	60	01	60	132
01/07/2022 to 31/12/2023	18	18	02	180	01	180	396
Total							756



REGIONAL OFFICE

M.P. POLLUTION CONTROL BOARD, Indore

Scheme No. 78/C, Part-2, Aranya, Vijay Nagar, Indore-452010 (M.P.)

E mail:romppcb_indore@rediffmail.com



Therefore, You are hereby directed to pay Environment compensation of Rs. 756 Lakh for period of violation from 01.01.2021 to 31.12.2023 i.e. 36 months within 15 days from the date of issue these directions, in the A/c No. 6310001200000043, IFSC Code PUNB0631000 (Punjab National Bank) of Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal.

Kindly acknowledge the receipt of this letter.

9/e

A (S.N. Dwivedi)
Regional Officer, Indore
Dated 12/12/2024

Sl. No. 910 MPPCB/RO/IND/2024

Copy To:-

1. The Member Secretary, M.P. Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for information please.
2. Collector, Dist.-Indore (M.P.) for information please & necessary action.
3. Director (Technical), M.P. Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for information please.
4. Director (Environment), (Legal Section In-Charge), M.P. Pollution Control Board, Bhopal (M.P.) for information please.

9/e

A (S.N. Dwivedi)
Regional Officer, Indore

कार्यालय नगर परिषद राऊ, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

Ph: 0731-2856231

Email-cmorau@mpurban.gov.in

क्रमांक/लो.नि/570/24

राऊ,दिनांक:-07.03.24

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इन्दौर

विषय:- जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33-क एवं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1961 की धारा 31-क के अंतर्गत सूचना पत्र बाबद्।

संदर्भ:- कार्यालय पत्र क्रमांक 186/डूडा/2023 इन्दौर दिनांक 01/03/24 के संबंध में।


—00—

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि नगर परिषद राऊ क्षेत्रांतर्गत उत्पन्न होने वाला घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु स्वीरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाना है। चूकि वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड लगभग 40 वर्ष पुराना प्रश्नाधीन स्थल पर होने से वर्तमान में रहवासीय क्षेत्र में आ जाने से ट्रेचिंग ग्राउण्ड के आस-पास शासकीय पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। निकाय क्षेत्र से लगी भूमि सर्वे नं. 807, 808 रकबा 13.6460 हेक्ट. की मांग दिनांक 28/12/2021 को आर.सी.एम.एस पोर्टल के माध्यम से की गई थी। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी नजुल इन्दौर के द्वारा दिनांक 06/05/2022 को भूमि आवंटन हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन्दौर से अभिमत प्रदान करने हेतु पत्र लिखा गया था। निकाय के पत्र क्रमांक 1329 दिनांक 24/05/2022 एवं पत्र क्रमांक 169 दिनांक 18/01/2023 को क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया था। इस संबंध में बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप से अभिमत नहीं दिया गया है। यह भी विलम्ब का कारण है। ग्राम माचला सर्वे नं. 155/1/2 रकबा 9.5950 हेक्टेयर पर कचरा संग्रहण हेतु दिनांक 13/02/2024 को आर.सी.एम.एस पोर्टल के माध्यम से निकाय द्वारा भूमि आवंटन की मांग की गई थी। किन्तु आज दिनांक तक भूमि का आवंटन नहीं होने से ट्रेचिंग ग्राउण्ड शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। न ही स्वीरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता हो पा रही है। ऐसी स्थिति में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में कई बार उक्त कार्य हेतु भूमि आवंटन हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कई बार निवेदन किया गया। परन्तु वर्तमान तक भूमि का आवंटन नहीं हो पा रहा है।

अतः भूमि सर्वे नं. 155/1/2 रकबा 9.5950 हेक्टेयर पर कचरा संग्रहण एवं विधिवत रूप से निष्पादन करने हेतु लोकहित में भूमि आवंटित कलेक्टर कार्यालय द्वारा शीघ्र हो जाती है तो वर्तमान में ट्रेचिंग ग्राउण्ड की जगह पर स्वीरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा सकेगा।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

क्रमांक/लो.नि/
प्रतिलिपि:-



मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद राऊ, जिला - इन्दौर
राऊ, दिनांक:- 07.03.24

1. आयुक्त महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

- 
2. कलेक्टर महोदय, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
 3. अपर कलेक्टर जिला-इन्दौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
 4. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग राऊ, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
 5. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

— 50 —

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ, जिला - इंदौर

प्रारूप एक
(देखें कंडिका 12, 21, 28, 36, 45, 93 और 100)

नजूल भूमि के हस्तान्तरण / आवंटन के लिए आवेदन का प्रारूप

यह प्रारूप निम्न श्रेणी के मामलो में प्रयुक्त किया जाएगा -

आवेदन क्रमांक : 0623010101017-APP-12388089

1. स्थानीय निकाय को भूमि स्वामी हक में भूमि का दिया जाना

प्रति,

कलेक्टर,
जिला इंदौर

विषय :- जिला इंदौर तहसील / नगर राऊ 1 के
ग्राम / सेक्टर राऊ में 13.6460 (हेक्टेयर / वर्गमीटर)
नजूल भूमि के हस्तांतरण / स्थायी पट्टे पर आवंटन के लिए आवेदन पत्र

आवेदक की श्रेणी (सुसंगत बॉक्स को चिन्हित करें)

राज्य शासन का विभाग	केंद्र शासन का	मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय
राज्य शासन का अधीनस्थ संगठन	विभाग	राजनैतिक दल
नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण/विशेष	केंद्र शासन के	युद्ध में मृत या निःशक्त
क्षेत्र विकास प्राधिकरण	अधीनस्थ संगठान	सैनिक का परिवार
पंचायती राज संस्था	निजी निवेशक	
सहकारी संस्था	पूर्त संस्था	

भाग - एक

(सभी आवेदकों द्वारा भरा जाए)

1	1.1 आवेदक का नाम (जिसके नाम से भूमि का आवंटन चाहा जा रहा है)	Rakesh Chouhan
	(संस्थागत आवेदन के मामले में)	
	1.2 आवेदनकर्ता पदाधिकारी का पदनाम	Cheif Muncipal Officer
	(व्यक्तिगत आवेदन के मामले में)	
	1.3 आवेदक के पिता/ माता / पति का नाम	
	1.4 लिंग	
2	2.1 पत्राचार के लिए पता	राऊ, राऊ 1, इंदौर
	2.2 दूरभाष क्रमांक	07314005856
	2.3 मोबाइल नम्बर	9893691625
	2.4 ई-मेल पता	cmorau@mpurban.gov.in
	2.5 संस्थागत आवेदन के मामले में, स्थानीय	

मन्वय हेतु अधिकृत
कार्यालय का नाम,
पता,
कार्यालय के प्रमुख का नाम,
पदनाम,
दूरभाष क्रमांक,
तथा ई-मेल पता दें

Name:Nagar Parishad Rau
Firmowner:Rakesh Chouhan
Address:Nagar Parishad Rau A.b.
Road
,राऊ,राऊ 1,इंदौर
pincode:453331
LandLine:07314005856
EmailID:cmorau@mpurban.gov.in

3 प्रक्रिया शुल्क जमा करने का विवरण
(जहां लागू हो)

3.1 जमा की गई राशि

3.2 चालन क्रमांक

3.3 जमा करने की दिनांक

28-12-2021

1 आवेदित भूमि का विवरण

जिला इंदौर तहसील राऊ 1

नगरीय क्षेत्र में स्थित भूमि के मामले में
नगर
सेक्टर

क्र.	खसरा क्रमांक / शीट क्रमांक / ब्लाक क्रमांक/ भूखंड क्रमांक	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में)
1	807, 808	13.646	5

5 आवेदित भूमि की आवश्यकता किस लिए है?

Trenching
Ground

(क) आवेदित क्षेत्रफल की आवश्यकता का औचित्य बताते हुए समर्थनकारी
दस्तावेज, यदि कोई हो, संलग्न करें

--

(ख) क्या आवेदित क्षेत्रफल की गणना अधिकतम अनुमत के क्षेत्र तल
अनुपात(F.A.R.) के आधार पर की गई है? यदि नहीं तो कारण दें

na

(ग) आवेदित क्षेत्रफल का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना और उसके लिए
उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का विवरण दें तथा समर्थनकारी दस्तावेज, यदि कोई हों,
संलग्न करें

--

भाग - दो

(आवेदकों की श्रेणी के अनुसार लागू खंड का प्रयोग करें)

खण्ड (क)

(यह खंड राज्य शासन या केंद्र शासन का विभाग या उसके अधीनस्थ संगठन, नगरीय निकाय या पंचायती राज संस्था, विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए भूमि आवंटन के मामले के लिए प्रयुक्त होगा)

7	आवेदित भूमि पर क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित योजना/परियोजना/कार्य आदि के संबंध में विवरण दें	
7.1	नाम	Trenching ground
7.2	प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के विवरण (आदेश की प्रतिलिपि संग्रह करें)	संग्रह है <i>Processing Unit</i>
7.3	योजना/परियोजना/कार्य के घटक जिनमें आवेदित भूमि का उपयोग प्रस्तावित है	संग्रह है
7.4	योजना/परियोजना/कार्य के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का विवरण (समर्थनकारी दस्तावेज यदि कोई हों, तो संग्रह करें)	--
7.5	स्थानीय निकाय के मामले में भूमि आवंटन के लिए स्थानीय निकाय के संकल्प की प्रतिलिपि संग्रह करें	संग्रह है
7.6	विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 50 के अंतर्गत घोषित नगर विकास स्कीम में स्थित नजूल भूमि के मामले में (स्कीम की प्रतिलिपि संग्रह करें)	संग्रह है
7.7	अन्य कोई जानकारी जो देना चाहें	तथा --

मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि इस भाग में दी गई जानकारी सत्य है, मुझे ज्ञात है कि यदि यह जानकारी असत्य, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई गई तो राज्य शासन मेरे / संस्था के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा और भूमि का आवंटन निरस्त कर सकेगा।

कार्यालय की मोहर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम Rakesh Chouhan

पदनाम Cheif Muncipal Officer

भाग- 1
अभिस्वीकृति



दि.

आवेदन क्रमांक :0623010101017-APP-
12388089

फर्म का नाम Nagar Parishad Rau
फर्म संस्थापक का नाम Rakesh Chouhan

पता राऊ, राऊ 1, इंदौर
मो.न. 9893691625

विषय:- भूमि आवंटन हेतु आवेदन

भू आवंटन हेतु आवेदन दर्ज होने की अभिस्वीकृति दी जाती है।

दिनांक: 28/12/2021

थान: इंदौर

कलेक्टर: कलेक्टर

जिला: इंदौर

प:- उपर्युक्त न्यायालय में आवेदन पत्र एवं संग्रहकों के साथ के भीतर उपस्थित हो |यह पावती इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट
की गयी है अतः हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्र. 03 / डूडा / 2023
प्रति.

इन्दौर, दिनांक 03/01/2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद राऊ
जिला-इन्दौर

विषय:- नगर परिषद राऊ अंतर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का रहवासी क्षेत्र में एकत्रीकरण बंद / विस्थापित कराने एवं बोर्ड से सम्मति / प्राधिकारी प्राप्त कराने बाबत।

संदर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर का पत्र क्र. 4632/क्षे.का.ई/2023 इन्दौर दिनांक 18.12.2023 ।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) जो आपको भी पृष्ठांकित है का अवलोकन होवे । निकाय क्षेत्रान्तर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का रहवासी क्षेत्र में एकत्रीकरण बंद करने एवं नियमानुसार स्थल का चयन कर घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का निपटान / पृथक्करण ठोस, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसार करने एवं नियमानुसार बोर्ड से सम्मति/प्राधिकार प्राप्त करने की समुचित कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से संबंधित विभाग को अवगत कराते हुये इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

कलेक्टर


जिला इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 03/01/2024

पृ.क्र. 04 / डूडा / 2023
प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

515

B11



कलेक्टर
जिला इन्दौर

कार्यालय कलेक्टर (जिला शहरी विकास अभिकरण), इंदौर म.प्र.

Ann-14

202. नवीन प्रशासनिक संकल.मोती तबेला,इन्दौर दरगाघा क्र.0731-2479217 E-MAIL:- podudaindore@mpurban.gov.in

क्र. प्रति,

186 / डूडा / 2023

इन्दौर, दिनांक 01/03/2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद राऊ
जिला-इन्दौर

[Handwritten Signature]

विषय:-

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33-क एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1961 की धारा 31-क के अंतर्गत सूचना पत्र ।

संदर्भ:- (1)

कार्यालय कलेक्टर जिला इन्दौर का पत्र क्रं. 03/डूडा/2023 इन्दौर दिनांक 03.01.2024 ।

(2)

क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर का पत्र क्रं. 623-624/क्ष.का.ई /2024 इन्दौर दिनांक 19.02.2024 ।

(3)

समसंख्यक पत्र क्रं. 625-626/क्ष.का.ई./2024 इन्दौर दिनांक 19.02.2024 ।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) जो आपको भी संबोधित है का अवलोकन है । नगर परिषद राऊ क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न होने वाले घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु कोई व्यवस्था अथवा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित नहीं होने से दूषित जल स्थानीय नाले के माध्यम से प्राकृतिक जलस्रोतों सरस्वती नदी/कान्ह नदी में निस्सारित होने के कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है ।

2/- निकाय क्षेत्रान्तर्गत घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का रहवासी क्षेत्र में एकत्रीकरण बंद करने एवं नियमानुसार स्थल का चयन कर घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट का निपटान /पृथक्करण ठोस, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसार करने एवं नियमानुसार बोर्ड से सम्मति/प्राधिकार प्राप्त करने की समुचित कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था । परंतु वर्तमान तक आपके द्वारा इस संबंध में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ।

अतः निकाय से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के उपचार, डिस्पोजल एवं दूषित जल को प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलने से रोकने तथा ठोस अपशिष्ट का निपटान /पृथक्करण ठोस, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अनुसार करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही 15 दिवस के भीतर करते हुये क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को की गई कार्यवाही से अवगत कराते हुये इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।


संलग्न - उपरोक्तानुसार

पृ.क्र. 187 / डूडा / 2023

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ प्रेषित ।

Adh



[Handwritten Signature]
अपर कलेक्टर
जिला इन्दौर
इन्दौर, दिनांक 03/03/2024

[Handwritten Signature]
अपर कलेक्टर
जिला इन्दौर

कार्यालय नगर परिषद् राऊ, जिला-इन्दौर (म.प्र.)


Ph: 0731-2856231

Email-cmorau@mpurban.gov.in

क्रमांक / लो.स्वा / /

राऊ, दिनांक: -

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
जिला-इन्दौर, म.प्र.

विषय:- कचरा संग्रहण एवं कचरा निष्पादन हेतु ग्राम मांचला भूमि सर्वे नं. 155/1/2 रकबा 9.5950 हेक्ट. का अग्रिम आधिपत्य दिलाये जाने बाबद्।

संदर्भ:- कार्यालय पत्र क्रमांक 111/2024 राऊ, दिनांक 15/01/2024।

--00--

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि नगर परिषद् राऊ, क्षेत्रांतर्गत कचरा संग्रहण एवं कचरा निष्पादन हेतु ग्राम मांचला भूमि सर्वे नं. 155/1/2 रकबा 9.5950 हेक्ट. में से 3.50 हेक्ट. भूमि की आवंटन की प्रक्रिया प्रचलित है इसमें समय लगने की संभावना है वर्तमान जनसंख्या में दोगुनी वृद्धि होने के कारण ठोस अपशिष्ट (कचरा) में वृद्धि हुई है। कचरा बहुत अधिक आ रहा है वर्तमान का ट्रेचिंग ग्राउण्ड छोटा होकर लगभग 40 वर्ष पुराना है उक्त भूमि पर कचरा संग्रहण एवं निष्पादन नहीं हो पा रहा है ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर कचरा रखने की जगह बिल्कुल नहीं बची है जिससे स्थिति भयांघ होती जा रही है कचरा ए.बी रोड तक फैलता जा रहा है आस पास की कॉलोनी में वायु प्रदुषण होने से रहवासीयों में बीमारी फैलने का डर बना रहता है। तथा निकाय को रहवासियों का आक्रोश प्रतिदिन सामना करना पडता है तथा ट्रेचिंग ग्राउण्ड हटाने हेतु बार-बार सी.एम हेल्प लाईन पर शिकायत की जा रही है। ट्रेचिंग ग्राउण्ड को शिफ्ट करने हेतु प्रकरण एन.जी.टी में प्रचलित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सर्वे नं. 155/1/2 रकबा 9.5950 हेक्ट. में से 3.50 हेक्ट. भूमि का अग्रिम आधिपत्य जनहित में शीघ्र दिलाये जाने का कष्ट करें। जिससे कचरा संग्रहण एवं कचरा निष्पादन संबंधी कार्यवाही की जा सकें।

“सादर”

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ, जिला - इंदौर
राऊ, दिनांक:- 22/03/24

क्रमांक / लो.नि / 716 /
प्रतिलिपि:

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राऊ, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार तहसील राऊ, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ, जिला - इंदौर

कार्यालय नगर परिषद् राऊ, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

Ph: 0731-2856231

Email-cmorau@mpurban.gov.in

क्रमांक/लो.स्वा /न.न. /

राऊ, दिनांक: -...04.04.2024

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
इन्दौर म.प्र.

विषय - राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर याचिका क्र. ओ.ए. 26/2024 (सी.-2) के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री अमित कुमार पांचाल पिता स्व.श्री एम.एल पांचाल के द्वारा नगर परिषद् राऊ, जिला-इन्दौर ए.बी.रोड से लगायत मुक्ति धाम के समीप ट्रेचिंग ग्राउंड स्थायी रूप से हटाये जाने के संबंध में श्री माना राष्ट्रीय हरित अधिकरण म.प्र. भोपाल में दायर याचिका क्र. ओ.ए. 26/2024 (सी.-02) दायर के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है-

नगर परिषद् राऊ क्षेत्र में ए.बी. रोड पर स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड/मरघट खसरा क्र. 363, रकबा 0.547 हे. राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर 40 वर्षों से अधिक (ग्राम पंचायत के) समय से ट्रेचिंग ग्राउंड है। जो वर्तमान नगर परिषद् राऊ की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से डोर टू डोर वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन 12 टन के लगभग टोस अपशिष्ट उसी स्थान पर लाया जा रहा है, परन्तु शहर से उत्पन्न टोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपरोक्त ट्रेचिंग ग्राउंड अपर्याप्त है। पूर्व में कार्यालय नगर पंचायत राऊ के पत्र क्र.441 दिनांक 14.05.2003 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु भूमि की मांग की गई थी। तत्समय से निकाय द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु भूमि की मांग की जा रही है, परन्तु भूमि आवंटित नहीं हो पा रही है।

वर्ष 2006-07 उपरांत ट्रेचिंग ग्राउंड के समीप कॉलोनीयों का निर्माण किया गया है, जो की एम.एस.डब्ल्यू.एम. मेल्युअल स्वच्छ भारत मिशन के टेबल के टेक्निकल क्रोएटेरिया के अंतर्गत 10-50 टन प्रतिदिन वाले ट्रेचिंग ग्राउंड से 200 मीटर तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता, जो की नियमों का उल्लंघन है एवं इस आशय का टी.एन.सी विभाग से जानकारी प्राप्त की जाना आवश्यक है।

वर्ष 2019 में निकाय द्वारा पत्र क्र./लेखा/1036/2019 दिनांक 26.04.2019 के माध्यम से कलेक्टर महोदय इन्दौर को पत्र प्रेषित कर भूमि जो की नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्थित खसरा क्र. 807, एवं 808 कुल रकबा में से 5.00 हेक्टेयर भूमि पर नगर परिषद् राऊ द्वारा ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु जमीन आवंटन के लिए आर.सी.एम.एस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर जमीन आवंटन की मांग की गई थी। लेकिन दिव्यांग छात्र/छात्राओं के आवासीय विद्यालय के लिए आवंटित होने की वजह से उक्त खसरा नं. भूमि को ट्रेचिंग ग्राउंड हेतु आवंटन नहीं हो सकी।



14/02/2024 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा निकाय के समीप कहीं भी ट्रेडिंग ग्राउण्ड (वेस्ट कलेक्शन एण्ड ट्रीटमेंट प्लांट) हेतु भूमि आवंटन हेतु आवेदन किया गया। तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा बताए अनुसार ग्राम माचला स्थित खसरा क्रमांक 155/1/2 कुल क्षेत्रफल 9.595 हेक्ट. में से 3.50 हेक्ट. भूमि ट्रेडिंग ग्राउण्ड (वेस्ट कलेक्शन एण्ड ट्रीटमेंट प्लांट) के लिए भूमि आवंटन हेतु आर.सी.एम.एस पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रेषित किया गया है।

नगर परिषद् राऊ द्वारा बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जन स्वास्थ्य, वातावरण व रहवासियों के हित में तत्समय ट्रेडिंग ग्राउण्ड को शिफ्ट करने की मांग की जाती रही है। परंतु आज दिनांक तक भूमि का किसी कारण से आवंटन नहीं हो सका।

नवीन ट्रेडिंग ग्राउण्ड हेतु अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसीलदार, पटवारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर खसरा क्रमांक 155/1/2 कुल क्षेत्रफल 9.595 में से 3.50 हेक्ट भूमि चिन्हित की गई जिसकी तहसीलदार द्वारा दैनिक समाचार पत्र में आपत्ति हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1085/री/2024 इन्दौर दिनांक 27/02/24 से संबंधित विभाग टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण से भी अनापत्ति हेतु पत्र जारी किए गए उक्त पत्र के संबंध में टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1295 दिनांक 20/03/2024 तथा इन्दौर विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 02/04/2024 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया उक्त सर्वे नं. 155/1/2 कुल क्षेत्रफल 9.595 हेक्ट. में से 3.50 हेक्ट. की भूमि ट्रेडिंग ग्राउण्ड हेतु आवंटन की प्रक्रिया प्रचलित है जनहित में ट्रेडिंग ग्राउण्ड शिफ्ट करने हेतु निकाय द्वारा अपने पत्र क्रमांक 715 दिनांक 22/03/2024 से अग्रिम अधिपत्य हेतु मांग की गई जिसकी कार्यवाही प्रचलित है वर्तमान ट्रेडिंग ग्राउण्ड से सूखा कचरा उठाने का कार्य सिमेंट फेक्ट्री मनावर द्वारा किया जा रहा है साथ ही निकाय को जैसे ही ट्रेडिंग ग्राउण्ड हेतु भूमि आवंटित होती है निकाय द्वारा नवीन स्थल पर ट्रेडिंग ग्राउण्ड शिफ्ट करने की कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

क्रमांक/लो.स्वा./772/
प्रतिलिपि:

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राऊ, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
4. म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार तहसील राऊ, जिला-इन्दौर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ, जिला - इन्दौर
राऊ, दिनांक:- 04.04.2024

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् राऊ, जिला - इन्दौर

Photograph taken during inspection dated 26/03/2024



Inspection by members of committee



Solid waste dumped in trenching ground, A.B. Road Rau




Solid waste dumped in trenching ground, A.B. Road, Rau



MSW in trenching ground, A.B. Road, Nagar Parishad Rau

Photograph taken during inspection dated 26/03/2024



Waste plastic processing hall with machines at trenching ground, A.B. Road Rau



Nallah passing through trenching ground Nagar Parishad Rau

VAKALATNAMA
 [Rule 4(1) of the Rules framed under Advocates Act, 1961]
BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
O.A. No. 26/2024
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL

IN THE MATTER OF:

AMIT KUMAR PANCHAL

...APPLICANT

Versus


**CMO, NAGAR PALLIKA RAU,
 DISTRICT INDORE & ORS**

....RESPONDENTS



I/We/Appellant/Claimant/Petitioner or Defendant/Respondent/Non-Applicant named below do hereby appoint, engage, and authorize advocate(s) named below to appear, act and plead as aforesaid case proceedings which shall include application for restoration, setting aside of ex- party orders, corrections, modifications, review and recall of orders passed in these proceedings, in this court or any other court in which the same may be tried/ heard/proceeded and also in appellate. Revisional and executing court in respect of proceedings arising from this case/ proceedings as per agreed terms and conditions and authorize him/them to sign and file pleadings, appeals, cross objections, applications, affidavit or other documents as may be deemed necessary for the proper prosecution/defence of the case in all its stages and also agree to ratify and confirm act done by him/them as if done by me.

In witness whereof i/we do hereunto set my/our hand to the presents, the contents of which have been duly understood by me /us this **12th April 2024**.

PARTICULARS OF EACH PARTY EXECUTING VAKALATNAMA

Name & Fathers Name	Registered Address	E-Mail Add & Telephone (If any)	Status in case	Signature
S.N. Dwivedi, Regional Officer, MPPCB Regional Office Bhopal.	78/C, Part 2, Viaynagar, Indore, 452010	Romppcb_indore @rediffmail.com	Officer-in- Charge	 Regional Officer M.P. Pollution Control Board INDORE.

Accepted

Name & Enrollment. No.	Address (If any) E-Mail Add.	Telephone (If any)	Full Signature
PARUL BHADORIA 1587-2012	parul.bhadoria04@gmail.com	8085977111	
PRANJAL PANDEY MP 2881-2021	advocatepranjalpandey@gmail.com	9340657120	
SHIVAM DWIVEDI MP 3857-2023	advshivamdwwivedi20@gmail.com	8878471359	